

Mahesh Singh

Signature.....  
ACC Name-Satvinder P  
ACC Code-UP, 14  
ACC ADD-Rasra-Ballia  
Mob-8417976202, L.No-5  
Tehsil-Rasra, District Ballia





सत्यमेव जयते

# INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

## e-Stamp

Certificate No. : IN-UP03911199551983T  
Certificate Issued Date : 09-Jul-2021 03:26 PM  
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14373804/ RASRA/ UP-BAL  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1437380495957526381987T  
Purchased by : INDRASAN MEMORIAL JANSHAYOG COLLEGE  
Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement  
Property Description : Not Applicable  
Consideration Price (Rs.) :  
First Party : INDRASAN MEMORIAL JANSHAYOG COLLEGE  
Second Party : Not Applicable  
Stamp Duty Paid By : INDRASAN MEMORIAL JANSHAYOG COLLEGE  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 100  
(One Hundred only)




Please write or type below this line

प्रतिबन्धों की बाध्यता :

क्या विभाग / शासन के निम्नलिखित प्रतिबन्ध आपको स्वीकार हैं ?

प्रतिबन्ध



Statutory Alert:

- The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
- Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

विद्यार्थियों के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

- ग. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- घ. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं कि जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली/ कौसिंग फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- ङ. संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायकता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम से वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- च. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- छ. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- ज. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा। यदि हों तो कृपया प्रबन्धधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम एक से आठ तक स्वीकार है।

हस्ताक्षर

प्रबन्धक

रजि० नं०... क्रम सं०... दिनांक... 21/7/22  
 पर श्री/श्रीमती/कुं...  
 पुत्र/पुत्री/पत्नी...  
 निवासी...  
 वे इस शपथपत्र को मुझे संतुष्ट किया और मैं अपनी  
 अपना हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी बनाया जिराकी पहचान  
 की... ने किया। मेरे द्वारा  
 सत्यापित/प्रमाणित किया गया।  
 नोटेरी

